न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

25 25

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 1034-पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 5-3-2014 पारित द्वारा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 693-पीबीआर/14.

---

1. दिलावर पिता स्व. आलम पटेल
2. सोहराब पिता स्व. आलम पटेल
3. इस्लाम पिता स्व. आलम पटेल

निवासीगण कॉलेज कॉलौनी
पट्टे मोहल्ला, खजराना, इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

त्रिशाला गृह निर्माण सहकारी संस्था
मर्यादित, इंदौर तर्फे अध्यक्ष
दिलीप पिता आनंदीलाल सिसौदिया
निवासी सिल्वर आर्केड 56, 1,
न्यू पलासिया, इंदौर .....अनावेदक

श्री प्रदीप के श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-3-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं ग्राम खजराना स्थित सर्वे क्रमांक 172/1 पैकि, 172/2 पैकि, 173 पैकि व 174/3 पैकि कुल रकबा 3.643 हेक्टेयर भूमि के संबंध में तहसीलदार, इंदौर द्वारा नामांतरण पंजी वर्ष 2011 अनुक्रमांक 34 पारित आदेश दिनांक 7-5-2011 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील 79/2010-11 दर्ज कर दिनांक 28-3-2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22-1-2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर

आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 693-पीबीआर/14 में दिनांक 5-3-2014 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई, जिसके विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिना अभिलेख मंगाये और उसका परिशीलन किये बगैर प्रकरण संक्षेप्ता मनमाने ढंग से नहीं निपटाई जा सकती है, जबकि इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किये बिना ग्राह्यता के स्तर पर निगरानी अग्राह्य की गई है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपदित न्याय सिद्धान्त के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । इस तर्क के समर्थन में 1990 आर.एन. 95 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया । यह भी कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टान्त ए.आई.आर. 1954 (सु.को.) के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है, जबकि इस न्यायालय को आदेश पारित के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाकर, उसका उचित ढंग से मूल्यांकन कर आदेश पारित करना चाहिए था । तर्क में यह भी कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा मात्र अपर आयुक्त ने विस्तृत विवेचना कर आदेश पारित करने के आधार पर निगरानी अग्राह्य की गई है, जो कि सर्वथा तथ्यों एवं विधि विपरीत होकर पुनर्विलोकन का आधार है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त का आदेश अपने आप में विरोधाभासी होकर गलत तथ्यों पर आधारित होने से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य था, किन्तु इस न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त के त्रुटिपूर्ण आदेश की पुष्टि करने में भूल की गई है, जो कि पुनर्विलोकन का आधार है ।

4/ अनावेदक एकपक्षीय है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 693-पीबीआर/14 में पारित आदेश दिनांक 5-3-2014 जिन आधारों पर पारित किया गया था, उनकी पुष्टि अभिलेख के अवलोकन से होती है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:-

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है । अत: उस आदेश को पुनर्विलोकन करने के पर्याप्त आधार नहीं होने से अमान्य किये जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-3-14 स्थिर रखा जाता है । पुनर्विलोकन निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर